SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश सं०–04 / रा.आ.मो.नि.(सुखाड़)–02 / 2023- 46(आ०) **/आ०प्र०, राँची दिनांक–** 23.03.2023

प्रेषक,

अमिताभ कौशल,
सचिव।

सेवा में,

सचिव,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

विषय :– **वर्ष 2022 में राज्य के कुल 22 जिलों के 226 प्रखण्डों में घोषित सुखाड़ से प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्य शीर्ष–2245 अंतर्गत प्रावधानानुसार राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राशि–100,00,00,000/– (एक सौ करोड़) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–208(स्वी०), दिनांक–23.03.2023**

महाशय,

उक्त आवंटित राशि योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–245 / बजट, दिनांक–30.03.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :–

बजट शीर्ष	**आवंटित राशि**
मुख्यशीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष–01–सूखा, लघुशीर्ष–101–आनुग्राहिक राहत, उपशीर्ष–07–कृषि इनपुट अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य, विपत्र कोड–39–S–2245–01–101–07–00–06–79	**100,00,00,000/–** **(एक सौ करोड़)** रुपये मात्र।

2. दिनांक–09.03.2023 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के निर्णय–02 **"कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 03/कृ०वि०–101/2014–563 दिनांक–01.03.2023 द्वारा 33% से अधिक फसल क्षति वाले श्रेणी–ख के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित जिला से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधियाचित राशि ₹ 217,46,63,538/– (दो सौ सतरह करोड़ छियालीस लाख तिरसठ हजार पाँच सौ अड़तीस) में से राज्य आपदा मोचन निधि से प्रावधानानुसार मांग संख्या–39, मुख्यशीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष–01–सूखा, लघुशीर्ष–101– आनुग्राहिक राहत, उपशीर्ष–07–कृषि इनपुट अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (विपत्र कोड–39-S-2245-01-101-07-00-06-79) मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि ₹ 100.00 (एक सौ) करोड़ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने तथा शेष राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त शीर्ष में उपबंधित राशि से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई"** तथा सुखाड़ से प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध कराने के निमित्त निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–1291 दिनांक–31.10.2022 के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के माध्यम से संबंधित जिलों के लिए यह आवंटन दी जा रही है।

D:\N Kr\Sushma Madam\Allotment\17

आवंटनादेश सं०—04 / रा.आ.मो.नि.(सुखाड़)—02 / 2023 आ०प्र० —46(अनु०) / राँची दिनांक—23.03.2023

3. कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवंटित राशि का भुगतान गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक—33-03/2020-NDM-I (Vol-II) दिनांक—10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मद एवं मानदण्ड में अंकित प्रावधानानुसार एवं विभागीय संकल्प संख्या—1291 दिनांक—31.10.2022 द्वारा घोषित सुखाड़ के परिप्रेक्ष्य में लाभार्थियों को किया जायेगा। राशि की निकासी एवं व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

4. सुखाड़ से प्रभावित कृषकों से प्राप्त आवेदन के सत्यापन के पश्चात् अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को प्रेषित किया जायेगा। उपायुक्त को प्राप्त प्रतिवेदन पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से आनुग्राहिक राहत की राशि का भुगतान किया जायेगा।

5. उपायुक्त द्वारा समुचित जाँच के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी योग्य परिवार को आनुग्राहिक राहत की राशि का भुगतान एक से अधिक बार नहीं किया जाय।

6. उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी योग्य परिवार अथवा लाभार्थी हेतु आवंटित राशि का भुगतान उसी के बैंक खाते में किया जाय तथा किसी भी अन्य के बैंक खाते में राशि का भुगतान नहीं किया जाय।

7. उपायुक्त द्वारा कृषि इनपुट अनुदान की राशि हेतु प्राप्त आवेदन, आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र (आधार / मतदाता प्रमाण पत्र), बैंक खाता विवरणी, भूमि संबंधित कागजात, अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का संयुक्त प्रतिवेदन, अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय एवं राशि हस्तांतरण संबंधित कागजात को अभिलेखबद्ध किया जायेगा।

8. उक्त राशि का आवंटन सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा संबंधित जिलों को आवश्यकतानुसार राशि उप आवंटित की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की विधिवत् निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा उपायुक्त को उप आवंटित राशि को संबंधित उपायुक्त, लाभार्थियों को डी०बी०टी० हेतु एकमुश्त निकासी कर बैंक में आवश्यकतानुसार रख सकेंगे।

10. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद व्यय विवरण विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण 30 मार्च 2023 के पूर्व ऑन—लाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

12. व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19–A में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

13. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

14. महालेखाकार से मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना आपदा प्रबंधन प्रभाग को देंगे।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता 2016, वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय–समय पर तत्संबंधित निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त / वित्त (वाणिज्यकर) / आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।

18. राशि निकासी के तुरन्त बाद व्यय प्रतिवेदन टी.भी.सं. के साथ विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

19. अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

20. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

23/3/2023

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 04 / रा.आ.मो.नि.(सुखाड़)–02 / 2023– 46(आ०) **/ आ०प्र० राँची दिनांक–** 23.03.2023

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव के उप सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त (पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा को छोड़कर), झारखण्ड / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–09 (बजट शाखा) एवं प्रशाखा–12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/2023

सरकार के सचिव।

D:\N Kr\Sushma Madam\Allotment\19

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 02/2023/46(AA) **दिनांक -** 23-Mar-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22450110107000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 01 - सूखा 101 - आनुग्रहिक राहत 07 - कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक) 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	96807	DRNANS001 SHIV KISHOR MISHRA UNDER SEC AGRI ANIMAL HUS COOP 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000,000.00 रुपये एक अरब

योग: 1,000,000,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक अरब

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY